



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222548
CG-DL-E-19102020-222548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3243]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942

No. 3243]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3658(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

“भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्, अधिनियम 1970 की दूसरी अनुसूची के कर्नाटक शीर्ष के अधीन ‘आयुर्वेद और सिद्ध’ से संबंधित भाग—1 में,—

(i) क्रम सं. 79ड. के सामने स्तंभ 4 की पहली और दूसरी पंक्ति में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

(4)
“2015 से जुन 2017 केंद्रीय सरकार द्वारा केएलई श्री बी. एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अधीन।
जुलाई 2012 से जून 2017 केंद्रीय सरकार द्वारा केएलई श्री बी. एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अधीन”।

(ii) क्रम सं. 79ड. और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	1	2	3	4
79च	केएलई एकेडमी ऑफ हाईयर एजुकेशन एंड रिसर्च (समझा गया, विश्वविद्यालय) बेलगांवी	“आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी)	बीएएमएस	जून 2018 से आगे यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो केएलईएस श्री बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव में वर्ष 2012 से आगे केंद्रीय सरकार की अनुमति से दाखिल हुए थे
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	जून 2018 से आगे यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो केएलईएस श्री बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव में वर्ष 2014 से आगे केंद्रीय सरकार की अनुमति से दाखिल हुए थे”।
		आयुर्वेदिक धनवंतरी	एम.एस. आयुर्वेद	

[फा. सं. जेड— 11020/1/2020—ईपी-1]]

पी.एन. रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (48 का 1970) की द्वितीय अनुसूची को अधिसूचना सं. का.आ. 4068(अ), तारीख 30 नवम्बर, 1979 द्वारा पहली बार संशोधित किया गया था और अधिसूचना सं. का.आ. 2427(अ), तारीख 16 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

S.O. 3658(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in Part-I, relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Karnataka”,—

- (i) against the serial number 79E, for the entries in first and second row of column 4, the following entries shall be substituted, namely:—

(4)
“From 2015 to June 2017 Subject to permission granted to KLE Shri B.M. Kankanwadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum for admission by the Central Government
From July 2012 to June 2017 Subject to permission granted to KLE Shri B.M. Kankanwadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum for admission by the Central Government”.

- (ii) after serial number 79E and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

	(1)	(2)	(3)	(4)
79F	KLE Academy of Higher Education and Research, (Deemed to be University), Belagavi	“Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	BAMS	From June 2018 onwards If awarded to the students who were admitted with the permission of the Central Government in the year 2012 onwards in KLE’s Shri B.M. Kankanwadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum.
		Ayurved Vachaspati	M.D. Ayurved	From June 2018 onwards If awarded to the students who were admitted with the permission of the Central Government in the year 2014 onwards in KLE’s Shri B.M. Kankanwadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum”.
		Ayurved Dhanwantari	M.S. Ayurved	

[F.N. Z-11020/1/2020-EP-1]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note: The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended vide notification number S.O. 4068 (E), dated the 30th November, 1979 and last amended vide notification number S.O.2427 (E), dated the 16 July, 2020.